न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
08 / 2023	प्रा.पत्र 251-A RTA	25.01.2023	26.05.2025

1. महेन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू
3. मेघाराम पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू
4. मालाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू
5. ओमप्रकाश पुत्र हड़मानाराम जाति माली निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू
6. कृष्णकुमार पुत्र काशीराम जाति गुर्जर निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
7. बेगराज पुत्र पन्नाराम जाति माली निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
8. राजेन्द्र पुत्र जगदीशप्रसाद जाति माली निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
9. कृष्णकुमार पुत्र रामूराम जाति माली निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
10. कृष्णकुमार पुत्र कानीराम जाति ब्राह्मण निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
11. मदनलाल पुत्र कानीराम जाति ब्राह्मण निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
12. बन्नेसिंह पुत्र दुल्लेसिंह जाति राजपूत निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
13. विनोद पत्नी रूघाराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
14. मेहरदीन पुत्र सादकअली जाति काजी निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
15. सायरसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी जवानीपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
16. रामेश्वरलाल पुत्र परतुराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
17. अभिमन्यु पुत्र चन्द्रभानसिंह जाति जाट निवासी अलीपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू
18. श्योकरण पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
19. धर्मपाल पुत्र डूंगरराम जाति नायक निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
20. भूराराम पुत्र लादूराम जाति नायक निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
21. महेन्द्रकुमार पुत्र सोहनराम जाति नायक निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
22. कमलकुमार पुत्र शुभकरण उर्फ हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू
23. गंगाधर पुत्र कानीराम जाति ब्राह्मण निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
24. रामलाल पुत्र लेखराम जाति ब्राह्मण निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
25. विनोदकुमार पुत्र लेखराम जाति ब्राह्मण निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
26. पूर्णीदेवी पत्नी रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू

--प्रार्थीगण--

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
2. सर्वसाधारण ग्रामवासीगण खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
3. कृष्णादेवी पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू
4. राजकुमार पुत्र शिशपाल [illegible] पट्टा चूरू

--अप्रार्थीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्ग[illegible] अधिनियम 1955

उपस्थित –
1. अधिवक्ता श्री ऋषिराज[illegible] शेखावत प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज तहसीलदार, चूरू
3. अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ अप्रार्थी सं. 3, 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमियां ख.नं. 298, 295, 293, 578/290, 924/696, 925/696, 216, 593/217, 631/594, 630/218, 866/219, 1032/220, 1033/220, 777/225, 778/238, 779/238, 831/237, 266, 728/263, 729/263, 599/264 व 600/264 रोही मौजा खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू में स्थित चली आ रही हैं। उपरोक्त कृषि भूमियां हम सभी प्रार्थीगण के खातेदारी एवं सह खातेदारी की कृषि भूमियां हैं। प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र हाजा के साथ संलग्न प्रस्तुत है। हम सभी प्रार्थीगण गांव खण्डवा पट्टा चूरू एवं इसके आसपास के ग्राम के निवासीगण हैं। हम सभी प्रार्थीगण मद सं. 1 में अंकित अपनी–अपनी कृषि भूमियों में आवागमन हेतु ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू से चारणवासी जाने वाले कटानी रास्ते से होकर प्रार्थना पत्र हाजा के साथ संलग्न अनेक्शर क के बिन्दु ए से फंटकर अनेक्शर के में अंकित अनुसार बिन्दु ए से मद सं. 1 में अंकित कृषि भूमियों से होकर बिन्दु बी तक अपनी–अपनी खातेदारी एवं सह खातेदारी की कृषि भूमियों में आवागमन करीब 4 पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। उक्त रास्ता ही सदामत का मौके पर मौजूद चला आ रहा है जो आज भी उक्त स्थान पर मौजूद है जिससे होकर हम सभी प्रार्थीगण वा अन्य ग्रामवासीगण आवागमन करते हैं एवं अपने कृषि कार्यो हेतु औजार, उपकरण, ट्रैक्टर, हल आदि लाते ले जाते आ रहे हैं। उक्त 4 पीढ़ियों पुराने रास्ते का आज तक राजस्व रिकार्ड में राजस्व नक्शा में अंकन नहीं किया गया है, मौके पर आज भी मौजूद है। उक्त रास्ता पटवार हल्का की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 13.07.2022 से भी भली प्रकार से साबित है, जिसमें भी रास्ता चालू बताया गया है। उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने बाबत सामूहिक रूप से सभी सह खातेदारान द्वारा काफी प्रयास किये गये जिसके बाद भी आज भी मौके पर प्रचलित कदामी रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं किया जा सका है। इस बाबत दिनांक 15.06.2022 को सभी सह खातेदारान ने एकराय होकर सामूहिक हस्ताक्षरित एक प्रार्थना पत्र राजस्व अभियान में प्रस्तुत किया जिस पर प्रभारी अधिकारी ने हस्ताक्षरित करते हुए प्रार्थना पत्र तहसीलदार, चूरू ने जांच कर रिपोर्ट चाही गई जिस पर गिरदावर हल्का ने पटवार हल्का को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु दिनांक 08.07.22 को प्रार्थना पत्र आगे प्रेषित किया। उक्त आदेश प्राप्त होने पर पटवार हल्का द्वारा दिनांक 13.07.22 को मौके पर जाकर ग्रामवासीगण व प्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका देखा गया। उक्त मौका रिपोर्ट में भी पटवार हल्का ने रास्ता चालू पाया है उसके बाद आज करीब 6 माह से अधिक का समय व्यतीत होने पर भी इस रास्ते को चौड़ा करवा कर राजस्व रिकार्ड में कटान करवाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए अदालतवाला के समक्ष धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त सदामत से प्रचलित कदामी रास्ते का 21 फुट चौड़ाई में अनेक्शर के के बिन्दु ए से बिन्दु बी तक राजस्व रिकार्ड नक्शा में काटा जाकर कटानी रास्ता कायम किया जावे।

यह कि अदालतवाला को धारा 251 ए के अन्तर्गत कदामी वा प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में कायम करने का क्षेत्राधिकार हासिल [illegible] सभी प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमियों, जिसमें से होकर कदामी रास्ता [illegible] के सह खातेदार एवं खातेदार हैं एवं मद सं. 1 में अंकित कृषि भूमि[illegible] प्रचलित कदीमी रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है एवं रास्ता के एवज में जाने वाली भूमि हम सभी सह खातेदारान एवं खातेदारान के हिस्से में से कम की जाकर का[illegible] जाती है तो हम सभी सह खातेदारान को कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं होगा। इस बाबत आपसी सहमति पत्र हम सभी सह खातेदारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:00 IST
Reason: SelfAttested

एवं खातेदारान ने आपस में मिलकर एवं गांव खण्डवा पट्टा चूरू के सरपंच के समक्ष उपस्थित होकर हस्ताक्षरित सहमतिनामा लिखित में करवा लिया है एवं नजरी नक्शा पर सभी सह खातेदारान ने हस्ताक्षर कर दिये हैं जो सहमति पत्र सभी सह खातेदारान की सहमति से इस प्रार्थना पत्र के साथ अदालतवाला में प्रस्तुत किया जा रहा है जिस पर किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। यह कि सहमति पत्र में वादी का एक खेत खसरा नम्बर 254 तादादी 12 बीघा वाके रोही मौजा बरड़ादास में स्थित है जिसका वादी (प्रार्थी) रजिस्टर्ड खातेदार है वादी के उत्तर में प्रतिवादी मूलाराम का खेत खसरा नम्बर 251 स्थित है प्रतिवादी मूलाराम के खेत में से ख. नं. 251 के पूर्व में चिपता बरड़ादास से रेल्वे स्टेशन आसलू का कटाणी रास्ता है इस कटाणी रास्ते में से फंट कर प्रतिवादी मूलाराम के खेत खसरा नं. 251 में से रास्ता फंट कर वादी के खेत खसरा नं. 254 में जाता है इंस रास्ते से वादी अपने पूर्वजो के समय से ही आवागमन करता हुआ चला आ रहा है। यह कि प्रतिवादी मूलाराम ने सन् 1991 में खेत खसरा नम्बर 251 में से जाने के लिए रोका था जिसका तहसीलदार चूरू ने मौका मुआयना कर रास्ते को खुलवाने का आदेश दिया सन् 1991 में तहसीलदार चूरू द्वारा रास्ता खुलवाने के बाद आज तक़ प्रतिवादी ने कोई अवरोध पैदा नही किया मगर इस साल प्रतिवादी मूलाराम खसरा नम्बर 251 में से जाने के लिए ख. नं. 254 में जाने में अवरूद्ध पैदा कर रहा है।

यह कि प्रतिवादी मूलाराम को कई बार कहा गया तथा गांव के मौजीज व्यक्तियों के द्वारा कहलवाया गया कि वादी उम्मेदसिंह के खेत खसरा नं. 254 में जाने के लिए खेत खसरा नं. 251 में से ही रास्ता सदामत से है इसलिए आप इस रास्ते में अवरोध पैदा न करें क्योंकि उम्मेदसिंह के खेत ख. नं. 254 में इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है मगर मूलाराम ने वादी व गांव के मौजीज व्यक्तियों की बात नही मानी इसलिए वादी को एक्स में रास्ता कटाणी कटाने के लिए यह दावा पेश करना पड़ा है। वादी सदामत से खेत ख. नं. 251 में से अपने खेत ख. नं. 254 में जाता है प्रतिवादी मूलाराम द्वारा दिनांक 1.6.18 को खसरा नं. 251 में से जाने के लिए रोकता है तथा रास्ते में प्रतिवादी सं. 1 अवरोध पैदा करता है इसलिए वादी (प्रार्थी) को यह दावा (प्रार्थना पत्र) प्रस्तुत करने का कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त हुआ है तथा वादी खसरा नं. 254 का खातेदार होने के कारण तथा खेत ख. नं. 251 में से सदामत से आवागमन करने के कारण वादी को यह दावा लाने का अधिकार हासिल है। सुखाधिकार होने के कारण वादी ने यह दावा पेश किया है। यह कि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो इसलिए वादी ख. नं. 251 में से रास्ता एक्स में कटवाना (चिन्हित) अति आवश्यक है तथा रास्ता एक्स में कायम होने के बाद किसी प्रकार का कोई विवाद न रहे। इसलिए कटाणी रास्ता कायम किया जाना जरूरी है। यह कि प्रार्थना पत्र के साथ एक्स व जमाबन्दी की नकलें पेश है। यह कि आर. टी. एक्ट की धारा 251 ए के तहत अदालत वाला को यह दावा (प्रार्थना पत्र) सुनने का अधिकार हासिल है तथा यह भूमि अदालत वाला के क्षेत्राधिकार में है तथा उचित कोर्ट फीस पर यह दावा (प्रार्थना पत्र) पेश है।

अतः दावा (प्रार्थना पत्र) बहक वादी (प्रार्थी) खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे--

(क) घोषित किया जावे कि खेत ख. [illegible] 51 [illegible] वादी (प्रार्थी) महेश से खेत ख. नं. 254 में जाने के लिए आवागमन [illegible]

(ख) खेत ख. नं. 254 [illegible] नं. 151 में कटाणी रास्ता एक्स में काट कर एक्स में तरमीम किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:00 IST
Reason: SelfAttested

(ग) अन्य कोई अनुतोष वादी (प्रार्थी) के हक में हो तो वह भी प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 2 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 को पुनः सम्मन जारी किये गये जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री राजेन्द्रकुमार राजपुरोहित एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। आगामी तारीख पेशी पर वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 9 व 10 सपठित धारा 11 सी.पी.सी. का पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा इसी अनवान का इसी तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र अदालतवाला में पेश किया था जो अनुवानी उम्मेदसिंह बनाम मूलाराम न.मु. 438/17 तारीख पेशी 25.0.18 निर्णय था जो खारिज हो जाने से प्रार्थी उन्हीं तथ्यों पर नया प्रार्थना पत्र धारा 9 में वर्णित होने से नहीं ला सकता। इस कारण प्रा0पत्र खारिज काबिल है। यह कि प्रार्थी द्वारा एक प्रा0पत्र इसी अनवान का न्यायालय तहसीलदार, चूरू के यहां नं.मु. एसपीसी/1/2018 अनुवानी उम्मेदसिंह बनाम मूलाराम आदि पेश कर रखा है व समान अनुतोष होने से व समान खसरा व समान पक्षकार होने से एक ही प्रकरण दो जगह नहीं चल सकता। इस कारण भी खारिज योग्य है। यह कि वादगत खसरा भी अप्रार्थी का पराना रकबा होने व गलत रूप से वादी/प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राजात कराने का दावा जेरकार होने से दावा/प्रा0पत्र चलने काबिल नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 9, 10 व 151 सीपीसी का जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील अप्रार्थी सं. 1 को दी जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रा0पत्र में अंकित किया कि अप्रार्थी की ओर से प्रा0पत्र गलत आधारों पर दिये जाने से खारिज फरमाया जाने योग्य है। नं.मु. 436/17 दिनांक 25.06.18 का निर्णय बतलाया है उससे प्रार्थी उम्मेदसिंह ने दावा विड्रॉ की दरख्वास्त पेश करने पर नियमानुसार कार्यवही न्यायालय द्वारा की गई है जिसकी अपील/निगरानी अप्रार्थी द्वारा नहीं की गई है। धारा सी.पी.सी. यहां पर लागू नहीं होता उसमें Civil Court के Jurisdiction बाबत है रेवेन्यू से कोई तालुक नहीं है। यह कि प्रा.पत्र किसी भी न्यायालय में कभी भी दिया जा सकता है इसके लिये कानूनी रूप से कोई पाबन्द नहीं है। यह कि अप्रार्थी ने धारा 9, 10 व 151 का प्रा.पत्र दरख्वास्त को लम्बा चलाने के लिये दी है जो चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब दर. अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि दर. प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

उपरोक्त प्रा0पत्र का जवाब प्रस्तुत होने पर धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के तहत बिन्दुवार मौका रिपोर्ट व विस्तृत रास्ता प्रस्ताव [illegible] के लिए तहसीलदार, चूरू को तहरीर जारी की गई। पत्रावली प्रा0पत्र 9, 10 व 151 [illegible] जवाब मूल प्रा0पत्र एवं इन्तजार मौका रिपोर्ट में लम्बित चलती रही। तहसीलदार, चूरू को पुनः पत्र जारी किया गया। तहसीलदार, चूरू की ओर से मौका रिपोर्ट प्राप्त [illegible] जो शामिल मिसल की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब मूल प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:00 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेश जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 जिस ढंग से अंकित की गई है सही नहीं होने से अस्वीकार है जबकि सही व वास्तविक तथ्य यह कि खसरा नं. 254 तादादी 12 बीघा जो सम्वत 2012 में व उसके बाद तक अप्रार्थी व उसके बाद अप्रार्थी व उसके पिता स्वर्गीय मालाराम की खातेदारी का रकबा रहा है जिसके साबिक खसरा नं. 84 थे। मुलाहिजा रिकॉर्ड पेश है तथा रकबा अप्रार्थी अनुसूचित जाति व्यक्ति का है प्राथी सवर्ण जाति के व्यक्ति ने गलत अपने नाम से करवा लिया जिसके लिए अप्रार्थी अलग से कार्यवाही कर रखी है। इस कारण मात्र उक्त रकबा हड़पने की नियत से गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है व रकबा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की पुरानी खातेदारी का होने से प्रार्थना पत्र चलने काबिल नहीं है। यह कि प्रार्थी के रकबा के पड़ोसियान जो अपनी मर्जी से अंकित किये है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 की इबादत जिस ढंग से अंकित की है सही नहीं होने से अस्वीकार है खेत खसरा नं. 257 की खातेदारी का विवाद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रार्थी के पिता के साथ चल रहा है जो वर्तमान में राजस्व मण्डल में जेरकार है जिनके खसरा नं. 257 बाबत आज भी स्थगन फरमाया हुआ था व प्रकरण जेरकार है। खसरा नम्बर 257 में से खसरा नम्बर 254 का कोई रास्ता नहीं है। यह कि मद संख्या 4 लगायत 6 गलत लिखी होने से अस्वीकार है।

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि अदालतवाला द्वारा मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब की गई है उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार खेत खसरा नं. 254 में रास्ता खेत खसरा नं. 268 में से गुजरने वाली 256 के नजदीक करीब 2 गट्ठा की दूरी से रास्ता आम कटाणी चिपता चला आ रहा है तथा इसी अनुरूप आवागमन प्रार्थी का रहा है तथा खसरा नं. 254 के चिपते खसरा नं. 252 आदि प्रार्थी के परिवार के खातेदारी के खसरा में से रास्ता आने जाने का है व उक्त खसरान के खातेदारान को पक्षकार बनाए बगैर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने काबिल नहीं है व प्रार्थी के खेत खसरा नं. 251 में से बहुत दूर 36 गट्ठा है जो कि मात्र पुराने मुकदमात की रंजिश व फौजदारी मुकदमात की रंजिश से गलत प्रार्थना पत्र तंग परेशान करने की नीयत से लाया गया है जो खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज कर दिए जावेंगे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र द्वारा अप्रार्थी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र में मौका रिपोर्ट प्राप्त होने एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर देने पर प्रार्थना पत्र धारा 9 व 10 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं मूल प्रार्थना पत्र पर एक साथ बहस सुनी गई। जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात मय मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 1190/638 में आवागमन का सदामत से रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेतों ख.नं. 1187/638, 1188/638 व 1189/638 में से होना अंकित करते हुए उक्त रास्ता को कटानी कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की मांग की है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों को नकारते हुए प्रार्थी क[illegible]जों के समय से ही लालासर से दूधवा खारा जाने वाली सड़क से हो[illegible] यह भी अंकित किया है कि उक्त रास्ता सुगम है एवं अप्रार्थी सं. [illegible] से अपने खेत में जाता है। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व में कभी भी नहीं रहना बताया है। अप्रार्थीगण ने अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र में धारा 251 क के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उक्त प्रावधानों के विपरीत पेश किया गया होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है। प्रश्न कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:00 IST
Reason: SelfAttested

2073 ग्राम ढाणी रणवां के अनुसार ख.नं. 1190/638 प्रार्थी रामचन्द्र की खातेदारी कृषि भूमि अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045, 2050 से 2053, 2054 से 2057 के अनुसार उक्त कृषि भूमि पूर्व ख.नं. 638 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की होना जाहिर है, जिसका बाद में विभाजन होकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम अलग अलग खातेदारी कायम हुई है। नकल नक्शा के अनुसार प्रश्नगत ख.नं. 638 की कृषि भूमि ग्राम ढाणी रणवां की आबादी के चिपती हुई होना स्पष्ट है। तहसीलदार, चूरू की ओर से प्रस्तुत बिन्दुवार मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा भू-अभिलेख निरीक्षक दूधवा खारा द्वारा मय पटवारी हल्का दूधवा खारा मौके पर जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा अन्य लोगों की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाई गई है, जिस पर सभी उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित हैं जो कि नियमानुसार उचित पाई जाती है।

मौका रिपोर्ट में अंकित आया है कि "खसरा नम्बर 638 रोही ग्राम ढाणी रणवां पूर्व में एक ही था, बाद में खाता विभाजन होने के कारण खसरा नं. 1188/638, 1187/638, 1189/638, 1190/638 बन गये। खातेदार रामचन्द्र का खसरा नं. 1190/638 है। खातेदार रामचन्द्र के खेत में से कोई कटानी रास्ता नहीं जाता है। वर्तमान में खातेदार रामचन्द्र चूरू से दूधवा खारा जाने वाले सड़क मार्ग से अपने खेत में आवागमन करता है। रामचन्द्र द्वारा खसरा नं. 1187/638, 1188/638, 1189/638 से होकर आबादी तक रास्ता चाहा गया है जिसकी लम्बाई 918 फीट है। खसरा नं. 1188/638, 1187/638, 1189/638 के खातेदार क्रमशः सहीराम व हनुमान, रावतमल, सोहन रास्ता नहीं देना चाहते हैं। रामचन्द्र वर्तमान में ख.नं. 640 में से होकर जाता है जिसकी खेत से सड़क तक की लम्बाई 220 फीट है। खातेदार रामचन्द्र के खेत से दक्षिण दिशा में कटानी रास्ता लालासर से दूधवा खारा जाता है जिससे रामचन्द्र के खेत तक की लम्बाई 424 फीट है।"

अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2016-17 (Supp.) पृष्ठ 677 का भी ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमें अंकित है कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955-धारा 251-ए-रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया-निगरानी-नया रास्ता स्वीकृत करने हेतु दो बातें आवश्यक हैं (1) आवश्यकता आत्यान्तिक होनी चाहिये न कि केवल सुविधा (2) वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होना चाहिये।"

उपरोक्तानुसार पत्रावली मय दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस के तथ्यों से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के जरिये पूर्व में जारी रास्ते को कटानी रास्ता कायम कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने की मांग की है जो कि प्रथम दृष्टया ही धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुकूल प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि धारा 251 क में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई ऐसा अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारों की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करवाना चाहता है, वह इ[illegible] अन्तर्गत आवेदन कर सकता है, जिसके लिए आवश्यक शर्तें हैं कि (1) [illegible] कि केवल सुविधा के लिए एवं (2) वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होना चाहिए। [illegible] प्रकरण में प्रार्थी ने स्वयं अंकित किया है सदामत से प्रार्थी के खेत का रास्ता अप्रार्थीगण [illegible] खेतों में से होकर रहा है। जब रास्ता पूर्व से ही रहा है तो उक्त पूर्व में सदामत से चले आ रहे रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा बन्द किया गया तब प्रार्थी को उक्त रास्ता को खुलवाने की कार्यवाही सक्षम अधिकारी के समक्ष करनी चाहिए थी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:00 IST
Reason: SelfAttested

जो प्रार्थी द्वारा नहीं की जाकर धारा 251 ए के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया है। पूर्व में सदामत से चले आ रहे रास्ता को कटानी घोषित करवाने की कार्यवाही नियमानुसार धारा 251 ए के तहत नहीं की जा सकती। साथ ही प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, चूरू की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन करने हेतु चूरू से दूधवा खारा जाने वाली सड़क से होकर ख.नं. 640 में से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जहां से प्रार्थी वर्तमान में आवागमन कर रहा है अर्थात् विकल्प का अभाव भी नहीं है तथा उक्त उपलब्ध रास्ते की लम्बाई भी चाहे गये रास्ते से कम है। इसके अलावा रामचन्द्र के खेत से दक्षिण दिशा में भी दूधवा खारा जाने वाले कटानी रास्ते से होकर रास्ते का दूसरा विकल्प भी प्रार्थी के पास मौजूद है, जो चाहे गये रास्ते से कम दूरी का है जिसके लिए प्रार्थी चाहे तो पृथक् से चाराजोई कर सकता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थी को उक्त चाहे गये रास्ते की ना तो आत्यान्तिक आवश्यकता है, तथा ना ही विकल्प का अभाव है, उसे केवल सुविधा के लिए रास्ता चाहिए जो कि धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के तहत दिया जाना सम्भव नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर का न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2016–17 (Supp.) पृष्ठ 677 में दिये गये निष्कर्ष भी इस प्रकरण पर सटीक रूप से लागू होते हैं, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि "नया रास्ता स्वीकृत करने हेतु दो बातें आवश्यक हैं (1) आवश्यकता आत्यान्तिक होनी चाहिये न कि केवल सुविधा (2) वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होना चाहिये।" इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के विपरीत पेश किया गया होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों में कवर नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:00 IST
Reason: SelfAttested